

07/10
25

पार्थी के अधिवक्ता अनुमो अपार्थीजण
की तल्बी हेतु अधिवक्ता पार्थी के
द्वारा साबिका आदेश की पालना नहीं की
गई जबकि इस हेतु पूर्व में पर्याप्त
विपसर दिया जा चुका है। निम्नजा पार्थी
का यह निगरानी पार्थीना- फर अदम
पूर्वी एवं अदम न्यायालय पालना आदेश
में खारिज की जाती है। पत्रावली फेरल
शुमार लेकर नंबर से कम हो एवं
दाखिल वफार हो।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)